बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

संकल्प

स0सं0 :–3/अ0प्र0–4–05/2023 7241 / पटना, दिनांक :– 3.7.25

श्री देवानंद झा, तदेन कनीय अभियंता, राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन कार्यक्रम, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी सम्प्रति सेवानिवृत्त सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मंझौल–बखरी के विरूद्ध आठ योजनाओं में ली गयी कुल अग्रिम राशि 34,40,000/–रूपये का समायोजन नहीं करने एवं योजना पूर्ण नहीं कराने के मामले में बिहार पेंशन नियमवाली के नियम–43बी के तहत संचालित विभागीय कार्यवाही में प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर विभागीय कार्यालय आदेश संख्या–156 सह पठित ज्ञापांक–2073 दिनांक 28.06.2016 द्वारा श्री झा के उपर पेंशन को शून्य पर निर्धारित करने की शास्ति अधिरोपित की गयी ।

2. उक्त शास्ति के विरूद्ध श्री झा के द्वारा माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना में CWJC No -10696/ 2017 वाद दायर किया गया। इस वाद में माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा दिनांक 24.04.2023 को न्यायादेश पारित किया गया, जिसका कार्यकारी अंश निम्नवत है :–

16. However, Considering the fact that the petitioner is a retired employee from the post of Assistant Engineer, While he was working at Samastipur in the Rural Works Division Department, if the petitioner is so advised to file an appeal before the appropriate appeallate authority, the appeal so filed by the petitioner must be disposed of within a period of two months from the date of its filling by the petitioner.

17. With the above observation/direction, the present writ petition is disposed of .

18. The Interlocutory Application, if any, shall also stand disposed of.

3. उक्त न्यायादेश के आलोक में श्री झा द्वारा विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से विभाग में अपील अभ्यावेदन समर्पित किया गया। तदालोक में कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल–1, मोतिहारी (पूर्वी चम्पारण) से श्री झा के विरूद्ध लंबित अस्थायी अग्रिम के समायोजन के संबंध में अद्यतन स्थिति की मांग की गयी। साथ ही इस मामले में विभागीय स्तर पर सुनवाई की गयी, जिसमें लिये गये निर्णय विभागीय ज्ञापांक–1156 अनु0 दिनांक 26.04.2024 द्वारा सभी संबंधित को संसूचित है।

कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल–1, मोतिहारी (पूर्वी चम्पारण) द्वारा पत्रांक–2257 दिनांक 10.05.2024 के माध्यम से प्रतिवेदित किया गया कि श्री देवानंद झा, तदेन कनीय अभियंता, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, पूर्वी चम्पारण द्वारा ली गयी कुल अग्रिम 45,90,000/–(पैतालिस लाख नब्बे हजार) रूपये में से 20,88,780/–(बीस लाख अठासी हजार सात सौ अस्सी) रूपये का समायोजन कर लिया गया है। शेष अग्रिम की राशि **45,90,000–20,88,780 = 25,01,220/– (पचीस लाख एक हजार दो सौ बीस) रूपये** का समायोजन किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

4. इस प्रकार श्री झा, तदेन कनीय अभियंता सम्प्रति से0नि0 सहायक अभियंता के जिम्में स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल–1, मोतिहारी में पदस्थापन अवधि के दौरान लिये गये अग्रिम में से समायोजनोपरान्त वर्तमान में कुल 25,01,220/–(पचीस लाख एक हजार दो सौ बीस) रूपये की राशि वसूली हेतु लंबित हैं।

5. इसी बीच कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, अरेराज ने पत्रांक–623 दिनांक 03.04.2024 के माध्यम से श्री झा के उपर सांसद कोष मद से कुल छः

योजनाओं में ली गयी अग्रिम की कुल राशि 39,84,374/–(उनचालिस लाख चौरासी हजार तीन सौ चौहत्तर) रूपये के विरूद्ध समर्पित प्रमाणक (विपत्र/अभिश्रव) के आधार पर समायोजन करने के बिन्दु पर विभाग से दिशा निर्देश की मांग की गयी।

उक्त से संबंधित मामले की समीक्षा आंतरिक वित्तीय सलाहकार से करायी गयी, जिसमें उनके द्वारा श्री झा के उपर 6 योजनाओं का लंबित कुल असमायोजित अग्रिम की राशि 39,84,374/–/–(उनचालिस लाख चौरासी हजार तीन सौ चौहत्तर) रूपये के विरूद्ध योजना संख्या–1 से लेकर 4 के संबंध में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, अरेराज द्वारा प्रतिवेदित/समर्पित प्रमाणक के आधार पर कुल 18,44,706/– (अठारह लाख चौवालीस हजार सात सौ छ) रूपये राशि का नियमानुकूल समायोजन करने हेतु परामर्श दिया गया। शेष असमायोजित राशि की वसूली श्री झा सेवानिवृत सहायक अभियंता को प्राप्त होने वाले देय पावनाओं/ सेवान्त लाभ आदि से करने का परामर्श दिया गया।

6. उक्त के आलोक में विभागीय पत्रांक 5254 दिनांक 16.05.2025 के द्वारा कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, अरेराज को श्री देवानन्द झा, तदेन कनीय अभियंता, कार्य प्रमंडल, अरेराज के उपर लंबित अग्रिम के विरूद्ध उनके द्वारा योजनावार समर्पित प्रमाणक के आधार पर समायोजन कर समायोजन संबंधी प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। साथ ही विभागीय पत्रांक 5253 दिनांक 16.05.2025 के द्वारा श्री झा सेवानिवृत सहायक अभियंता, कार्य प्रमंडल, मंझौल–बखरी का लंबित बकाया वेतन आदि की विवरणी उपलब्ध कराने हेतु कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, मंझौल–बखरी को निदेश दिया गया।

7. उक्त विभागीय पत्रों के आलोक में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, अरेराज द्वारा पत्रांक 1094 अनु0 दिनांक 05.06.025 के माध्यम से श्री झा, तदेन कनीय अभियंता के द्वारा समर्पित योजनावार प्रमाणक के आधार पर सभी वैधानिक करों/दायित्वों की कटौती करते हुए उनके विरूद्ध अग्रिम की कुल राशि रू0–39,84,374/– (उनचालीस लाख चौरासी हजार तीन सौ चौहत्तर रूपये मात्र) में से मात्र 15,06,827/–(पंद्रह लाख छ हजार आठ सौ सताईस) रूपये की राशि का समायोजन योग्य मानते हुए असमायोजित अग्रिम की राशि रू0–24,77,547/–(चौबीस लाख सतहत्तर हजार पॉच सौ सैतालिस) शेष लंबित रहने से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया।

कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, मंझौल–बखरी ने पत्रांक 683 अनु0 दिनांक 23.05.2025 के माध्यम से पूर्व में प्रेषित प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया जिसके अनुसार भिन्न–भिन्न कार्यालयों (कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, मोतिहारी सहित) का श्री देवानन्द झा सेवानिवृत सहायक अभियंता के जिम्मे कुल 35,36,312/–(पैंतीस लाख छत्तीस हजार तीन सौ बारह) रूपया असमायोजित राशि वसूली हेतु लंबित दर्शाया गया। साथ ही यह भी प्रतिवेदित किया गया कि श्री झा सेवानिवृत सहायक अभियंता का बकाया वेतनादि (दिनांक 01.01.2010 से 31.08.2014 तक) की कुल राशि 29,92,312/–(उन्नतीस लाख बानवे हजार तीन सौ बारह) रूपया भुगतान हेतु लंबित है।

8. इस प्रकार कार्य प्रमंडल, अरेराज एवं मंझौल–बखरी से प्राप्त अद्यतन प्रतिवेदन के अनुसार श्री झा सेवानिवृत सहायक अभियंता के विरूद्ध वर्तमान में कुल असमायोजित अग्रिम राशि 24,77,547+35,36,312=60,13,859/– रूपया लंबित है। इसमें से श्री झा के लम्बित बकाया वेतनादि की कुल राशि 29,92,312/– को समायोजित करने के उपरांत इनके विरूद्ध वसुलनीय सरकारी राशि रू० 60,13,859–29,92,312 = 30,21,547/– (तीस लाख इक्कीस हजार पॉच सौ सैतालिस) रूपये होती है।

9. प्रश्नगत मामले की समग्र समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार के द्वारा श्री झा के उपर अधिरोपित दंडादेश को पुनरीक्षित करने तथा उनके उपर लंबित अस्थायी/असमायोजित अग्रिम का समायोजन उनको प्राप्त देय पावनाओं/सेवान्त लाभादि से करने का निर्णय लिया गया है।

अतः उक्त के आलोक में श्री देवानंद झा, तदेन कनीय अभियंता, राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन कार्यक्रम, पूर्वी चम्पारण सम्प्रति सेवानिवृत्त सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मंझौल–बखरी के उपर भिन्न–भिन्न कार्यालयों का लंबित अस्थायी अग्रिम के विरूद्ध समर्पित प्रमाणक के आधार पर समायोजनोपरान्त एवं बकाया वेतन से वसूली के उपरांत लंबित कुल राशि रू0–30,21,547/–(तीस लाख इक्कीस हजार पाँच सौ सैतालिस) का समायोजन/वसूली उनको मिलने वाले देय पावनाओं एवं सेवान्त लाभादि से करने का निर्णय लिया जाता है। साथ ही उन्हें पूर्व में विभागीय कार्यालय आदेश संख्या–156 सह पठित ज्ञापांक–2073 दिनांक 28.06.2016 द्वारा संसूचित दंडादेश **पेंशन को शून्य पर निर्धारित करने की शास्ति** को पुनरीक्षित करते हुए उसके स्थान पर **बिहार पेंशन नियमवाली के नियम–43(बी) के तहत 5 प्रतिशत पेंशन की मासिक कटौती अगले 5 वर्षों तक करने की शास्ति अधिरोपित की जाती है।**

प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

3/7/25

(संजय कुमार)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ०प्र०–4–05/2023 7241 / पटना, दिनांक :– 3.7.25

प्रतिलिपि :– कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मंझौल–बखरी/कार्य प्रमंडल, अरेराज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

श्री देवानंद झा, तदेन कनीय अभियंता, राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन कार्यक्रम, पूर्वी चम्पारण सम्प्रति सेवानिवृत्त सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मंझौल–बखरी के उपर समायोजनोपरान्त लंबित अस्थायी अग्रिम की कुल राशि 30,21,547/– (तीस लाख इक्कीस हजार पॉच सौ सैतालिस) रूपये की वसूली उनको मिलने वाले नियमानुकूल देय पावनाओं/सेवान्त लाभादि से करते हुए शेष पेंशनरी लाभादि का नियमानुकूल भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें।

3/7/25

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ०प्र०–4–05/2023 7241 / पटना, दिनांक :– 3.7.25

प्रतिलिपि :– प्रशाखा पदाधिकारी–05, ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेश दिया जाता है कि श्री देवानंद झा, तदेन कनीय अभियंता, राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन कार्यक्रम, पूर्वी चम्पारण सम्प्रति सेवानिवृत्त सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मंझौल–बखरी के विरूद्ध लंबित असमायोजित अग्रिम की कुल राशि 30,21,547/– की वसूली करते हुए उनका नियमानुकूल पेंशनरी लाभादि का भुगतान के संदर्भ अग्रेतर कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित करें।

3/7/25

संयुक्त सचिव

(SU) Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website:- http//rwdbihnic.org, E-mail : secretaryrwdbihar@gmail.com , secy-rwo-bih@nic.in

ज्ञापांक :– 3/अ०प्र०–4–05/2023 7241 / पटना, दिनांक :– 3.7.25
प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, ई० गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ (आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से) प्रेषित ।

3/7/25
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ०प्र०–4–05/2023 7241 / पटना, दिनांक :– 3.7.25
प्रतिलिपि :– महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना, वीरचंद पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग/कोषागार पदाधिकारी, मोतिहारी/बेगूसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/7/25
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ०प्र०–4–05/2023 7241 / पटना, दिनांक :– 3.7.25
प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/योजना एवं विकास विभाग/भवन निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/7/25
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ०प्र०–4–05/2023 7241 / पटना, दिनांक :– 3.7.25
प्रतिलिपि :– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख के निजी सचिव/सभी मुख्य अभियंता/प्रशाखा पदाधिकारी–4, 5, 12 एवं 13 अभियंता प्रमुख के निजी सचिव/सभी मुख्य अभियंता/प्रशाखा पदाधिकारी–4, 5, 12 एवं 13
/अधीक्षण अभियंता, कार्य अचल, मोतिहारी/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बेतिया/मोतिहारी/विभागीय आई0टी0 मैनेजर/कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल–1, मोतिहारी/श्री देवानन्द झा, तदेन कनीय अभियंता, एन०आर०ई०पी०, मोतिहारी सम्प्रति सेवानिवृत्त सहायक अभियंता पत्राचार का पताः–पिता–स्व0 गुनंद झा, गौशाला मोहल्ला बी0एन0 झा कॉलोनी, वार्ड नं0–07, ग्राम+पो0+थाना+जिला–मधुबनी, पिन–847211 मोबाईल नं0–9431466762 को निबंधित डाक के माध्यम से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/7/25
संयुक्त सचिव